शासकीय महाविद्यालय राऊ

आदर्श आचार संहिता

- प्रत्येक विद्यार्थी-प्राचार्य, शिक्षकों , कर्मचारियों तथा अपने सहपाठियों से शालीन एवं विनम्र व्यवहार करेंगे।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत अपने विद्या अध्ययन में लगायेंगे, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित / अनुमोदित शैक्षणेत्तर कार्यक्रमों में पूर्णतः सहयोग करेंगे।
- महाविद्यालय अर्थात् भवन, पुस्तकालय, छात्रावास आदि में शांति, सुरक्षा और स्वच्छता बनाये रखने में प्रत्येक विद्यार्थी रूचि लेंगे। महाविद्यालय की सम्पत्ति अर्थात् भवन साज-सज्जा, विद्युत व्यवस्था, उपकरण आदि को किसी भी रुप में क्षति नहीं पहुंचायेंगे।
- विद्यार्थी अपनी कठिनाई के लिये आंदोलन का मार्ग न अपनाएं।
- महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित करना वर्जित है।
- विद्यार्थी को यदि कठिनाई हो तो वे प्राध्यापकों अथवा अति आवश्यक होने पर प्राचार्य के समक्ष पूर्ण अनुशासन से शांतिपूर्वक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ/ शिकायत पेटी के माध्यम से अपनी समस्या महाविद्यालय प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं । महाविद्यालय द्वारा तय शिक्षक से विद्यार्थी तथा अभिभावक संपर्क करें किन्तु बाहरी तत्वों को माध्यम न बनायें।
- विद्यार्थी को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिक या गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे परन्तु यदि ऐसा हुआ तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या करने का प्रयास करना या सहायक होना दुराचरण माना जायेगा एवं उनके विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- महाविद्यालय सीमा में धूम्रपान एवं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।

PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAU
INDORE (M.P.)

शासकीय महाविद्यालय राऊ, इन्दौर

स्टुडेंट चार्टर

स्टुडेंट चार्टर उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थीयों के अधिकारों और कर्त्तव्य का दस्तावेज है। महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित सभी विद्यार्थीयों पर यह बाध्यकारी होगा कि वे संचालित महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के नियमों से संचालित होंगे। जानकारी के अभाव में यदि उनके हित प्रभावित होते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली क्षति के लिये वे ही पूर्णतः उत्तरदायी होंगे ।

एक बार प्रवेश होने के पश्चात् शुल्क वापस नहीं किया जावेगा और न ही विषयों को बदला जावेगा । प्राचार्य का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

1 प्रवेश के लिये निर्धारित आवेदन प्रारूप के अतिरिक्त कोई अन्य प्रारूप मान्य नहीं होगा । इस हेतु उच्चशिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश ही प्रमाणिक और मान्य होंगे।

2 वार्षिक पद्धति से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रावधिक होगा ।

3 विद्यार्थी का प्रवेश तभी वैध माना जावेगा जब वह प्रवेश हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों को समय सीमा में उपलब्ध करावेगा। दस्तावेज विलम्ब से उपलब्ध कराने वाले अथवा निर्धारित तिथि तक उपलब्ध नहीं कराने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

4 किसी भी गतिविधि में जैसे-क्रीड़ा, रा.से.यो., छात्रसंघ, युवा उत्सव आदि में भागीदारी करने के लिए वैध विद्यार्थी ही मान्य होते हैं। इन गतिविधियों में, विशेष तौर पर छात्र संघ गठन में, वैधता के विनिश्चय का आधार पृथक रहता है। यदि विद्यार्थी ने प्रवेश के समय पर अपने दस्तावेज महाविद्यालय अथवा प्रवेश समिति को उपलब्ध नहीं कराये हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी वैधता के विनिश्चय का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।

5 विद्यार्थीयों को यह सदैव याद रखने की आवश्यकता है कि वे महाविद्यालय में अध्ययन करने एवं आत्मविकास के लिये आये हैं। अतः विद्यार्थी के असामाजिक कार्यों में लिप्त होना प्रमाणित होने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

6 महाविद्यालय मूलतः अध्ययन-अध्यापन की जगह है। इसका परिसर अकादमिक गरिमा से ओत-प्रोत और भविष्य विधायक हो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही विद्यार्थी अपने समस्त कार्य करेंगे। किसी भी स्थिति में वे महाविद्यालय की गरिमा, सम्पत्ति एवं भवन को नुकसान नहीं पहुँचायेंगे।

ATTESTED

GOVT College RAU

शासकीय महाविद्यालय राऊ, इन्दौर

ZERO TOLERANCE TO RAGGING

Ragging In Any Form Is Strictly Prohibited With In Premises Of College.

RAGGING COMPLAIN MECHANISM

INFORM

1. Drop your written complaint in the complain box in your College.
2. Inform Anti Ragging Committee.
3. E-mail to - helpline@antiragging.in

SAY NO TO RAGGING

CONTACT

100	Police
1800-180-5522	Toll Free Anti Ragging Helpline
9425191183	Dr. Sudha S. Silawat Principal
9425492027	Pro. D. C. Rathi Discipline Committee Convener
9406647672	Pro. Anil Jain Discipline and Anti Ragging Committee Member
9826989350	Pro. A. S. Rao Discipline and Anti Ragging Committee Member
9977181068	Dr. M. S. Dabar Discipline and Anti Ragging Committee Member
7000030358	Dr. M. K. Alone Discipline and Anti Ragging Committee Member
9425062908	Dr. Surekha Pandit Discipline and Anti Ragging Committee Member
9424554354	Dr. Anil Singh Student Council Convener

PUNISHMENT FOR RAGGING :-
Suspension / Expulsion / Cancellation of Degree / Penal Action

ATTESTED
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय,
राऊ-इन्दौर (म. प्र.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय राऊ गुरुकुल परिसर
रंगवासा रोड़, इंदौर (म. प्र.)

पॉक्सो कानून क्या है ?

- इसका पूरा नाम है Protection Of Children from Sexual Offences [POCSO].
- केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में बनाया यह विशेष कानून पूरे भारत में लागू है।
- नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी, छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराधों से यह कानून उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है।
- इस कानून में अलग–अलग अपराधों के लिये अलग – अलग सजा का प्रावधान है।
- इस कानून के अन्तर्गत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता–पिता अथवा जिन लोगों पर बच्चा विश्वास करता है, की उपस्थिति में होती है।
- अप्रियुक्त किशोर वय का होने पर, किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है।
- यदि पीड़ित विकलांग, मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार है, तो विशेष न्यायालय द्वारा उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुवादक, दुभाषिये या विशेष शिक्षक की सहायता ली जा सकती है।
- यौन प्रयोजनों के लिए बच्चों का व्यापार करने वाले लोग भी अपराधी के तौर पर इस कानून में सम्मिलित किए गए हैं।
- यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे भी दंड का प्रावधान है।
- इसमें बच्चे की देखभाल और संरक्षण की तत्काल व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है।
- पुलिस की यह भी जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रकरणों को 24 घंटे के अन्दर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाये, जिससे समिति बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठा सके।
- बच्चे की मेडिकल जाँच कम से कम पीड़ादायक तथा माता–पिता या बच्चा जिस पर विश्वास करता हो, की उपस्थिति में होना चाहिये।
- बच्ची की मेडिकल जाँच महिला चिकित्सक द्वारा ही की जाना चाहिये।
- घटना अथवा प्रकरण की सुनवाई न्यायालय द्वारा बंद कमरे में, कैमरे के सामने मित्रवत वातावरण में किया जाना चाहिये। इस समय बच्चे की पहचान गुप्त रखने की कोशिश की जाना चाहिये।
- विशेष न्यायालय, प्रभावित बच्चे को प्रदान की जाने वाली मुआवजे की राशि का निर्धारण कर सकता है जिससे उसके चिकित्सा उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके।
- बच्चों के यौन शोषण के सभी प्रकरण, घटना घटने के दिनांक से एक वर्ष के अंदर निपटा लिये जाना चाहिये।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, राऊ
जिला-इन्दौर (म.प्र.)